प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-19.02.2025

थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा अपहरण कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को 07 घंटे के अंदर घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत घटित अपहरण की घटना के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0-28/2025 धारा- 115(2), 352, 140(1) B.N.S. से सम्बंधित वांछित 03 अभियुक्तों 1-अजीत चौधरी पुत्र खदेरू प्रसाद उम्र करीब 38 वर्ष 2-विशाल वर्मा पुत्र प्रेम चन्द वर्मा उम्र करीब 31 वर्ष 3-रवि प्रकाश चौधरी पुत्र कृपा निधान उम्र करीब 40 वर्ष को दिनांक-19.02.2025 को समय करीब 00:10 बजे थाना क्षेत्रान्तर्गत बढ़या पुल के पहले तिराहे से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक अदद चार पहिया वाहन (ग्रैंड विटारा काले रंग की) को कब्जे में लेकर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1- अजीत चौधरी पुत्र खदेरू प्रसाद उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम रतनपुर थाना रुधौली जनपद बस्ती |

2- विशाल वर्मा पुत्र प्रेम चन्द वर्मा उम्र करीब 31 वर्ष निवासी मालवीय रोड थाना कोतवाली जनपद बस्ती; स्थायी पता ग्राम लालापुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर (उ0प्र0) |

3- रवि प्रकाश चौधरी पुत्र कृपा निधान उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम रतनिया थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर (उ0प्र0) |

बरामदगी का विवरण-

1- घटना में प्रयुक्त एक अदद चार पहिया वाहन (गाड़ी संख्या-UP-32-NE-9100) (ग्रैन्ड विटारा काले रंग की) |

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.02.2025 को प्रार्थी संदीप यादव पुत्र झिनकान यादव निवासी ग्राम फेरसहन थाना-कप्तानगंज जनपद बस्ती द्वारा थाना कप्तानगंज पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 18/02/2025 को वह अपना ट्रैक्टर बनवाने मिस्त्री के पास लेकर जा रहा था कि समय 18:40 बजे कसानगंज चौराहे से 200 मीटर टिनिच रोड पर 1-अजीत चौधरी पुत्र खदेरु प्रसाद चौधरी 2-विशाल वर्मा पुत्र प्रेम चन्द वर्मा 3-रवि प्रकाश चौधरी पुत्र कृपा निधान अपनी काली रंग की गाड़ी ग्रैन्ड विटारा गाड़ी संख्या-UP-32-NE-9100 से आकर मुझे गाली-गुप्ता देते हुए

मारते-पीटते जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर कहने लगे कि मेरा पिछला बकाया पैसा तुम नहीं दे रहे हो तो अब तुम दो लाख दोगे तब छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हे जान से मार देंगे, जिस पर मेरे चिल्लाने व शोर मचाने पर वहां आस-पास उपस्थित मेरे भाई अखिलेश यादव, हनुमान प्रसाद एवं कुछ अन्य लोग गाड़ी का पीछा करने लगे तो वो सब गाड़ी धीमे कर मुझे गाड़ी से बाहर नीचे ढकेल दिए, जिस पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0-28/2025 धारा- 115(2), 352, 140(1) B.N.S. पंजीकृत कर जाँच एवं अन्य आवश्यक वैधानिक/ विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में समस्त 03 अभियुक्तों को दिनांक-19.02.2025 को समय करीब 00:10 बजे थाना क्षेत्रान्तर्गत बढ़या पुल के पहले तिराहे से गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायलय बस्ती रवाना किया गया |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज उपेन्द्र कुमार मिश्र जनपद बस्ती |

2- निरीक्षक अपराध राजेश विश्वकर्मा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती। |

3- उ0नि0 मु0 इस्लाम खां, उ0नि0 प्रहलाद यादव, उ0नि0 मोहम्मद रफी खां, उ0नि0 रविन्द्र यादव थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

4- हे0का0 रामेश्वर यादव, का0 काशी कुमार, का0 यशवंत यादव, का0 एसपी चौहान थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |